



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27012023-243232
CG-DL-E-27012023-243232

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 401]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 25, 2023/माघ 5, 1944

No. 401]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 25, 2023/MAGHA 5, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2023

का.आ. 415(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा झारखंड राज्य के पलामू जिले में NH75 के कि.मी. 196.87 से कि.मी. 200.9 (दलाओ पलामू) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "14.09.2022 " को "सन्मार्ग" और "पायनियर" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

झारखंड राज्य के पलामू जिले में NH75 के कि.मी. 196.87 से कि.मी. 200.9 (दलाओ पलामू) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: झारखंड		जिले का नाम: पलामू			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: विश्रामपुर				
	गांव का नाम: गुरहाकलां				
1	1351	निजी(रैयती)	टांड	0.0707406	दिलीप कुमार सिंह पिता जुगेश्वर सिंह (1351)
2	628	निजी(बकास्त मालिक)	दोन ii	0.1011736	गीता देवी पति राजकुमार सिंह (628)
	गांव का नाम: केतातकलां				
3	2203	निजी(बकास्त)	टांड	0.100688	शिवपुजन चौबे पिता इंद्रदेवन चौबे भरत साव पिता सकु साव (2203)
	गांव का नाम: शंखा				
4	41	निजी(बकास्त)	धान 2	0.0394577	अखलेश दुबे वो सुनील दुबे वो अमरदेव दुबे वो रवीन्द्र दुबे (41)
5	42	निजी(बकास्त)	टाँड 2	0.0121408	अखलेश दुबे वो सुनील दुबे वो अमरदेव दुबे वो रवीन्द्र दुबे (42)
6	47	निजी(टांड ii)	बकास्त मालिक	0.0870093	अखलेश दुबे वो सुनील दुबे वो अमरदेव दुबे वो रवीन्द्र दुबे (47)

7	55	निजी(रैयती)	टांड	0.0189397	गुलजारी देवी पति आदित्य चौबे वो धनपति देव पति कमला चौबे (55)
8	56	निजी(रैयती)	टांड	0.0247673	गुलजारी देवी पति आदित्य चौबे वो धनपति देव पति कमला चौबे (56)
			कुल	0.454917	

[फा. सं. NHAI/PIU/RNC/NH-75/Section-IV(LA)/3D1]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th January, 2023

S.O. 415(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH75 on the stretch of land from Km 196.87 to Km 200.9 (DLAO PALAMU) in the district of PALAMU in the state of JHARKHAND;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Sanmarg” and “Pioneer” both dated 14.09.2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH75 in the stretch of land from NH75 (DLAO PALAMU) in the district of PALAMU in the State of JHARKHAND

State: JHARKHAND		District: PALAMU			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Bishrampur				
	Village: Gurhakala				
1	1351	Private(Raiyti)	Tand	0.0707406	Dilip Kumar Singh S/o Jugeswar Singh 1351
2	628	Private(Bakast Malik)	Don -II	0.1011736	Geeta devi W/o rajkumar singh 628
	Village: Ketat Kalan				
3	2203	Private(Bakast)	Tand	0.100688	Shivpujan Choubey S/o Indradevan Choubey Bharat saav S/o saku saav 2203
	Village: Sankha				
4	41	Private(Bakast)	Dhan 2	0.0394577	Akhlesh Dubey, Sunil Dubey, Amardev Dubey, Ravindra Dubey 41
5	42	Private(Bakast)	Tand 2	0.0121408	Akhlesh Dubey, Sunil Dubey, Amardev Dubey, Ravindra Dubey 42
6	47	Private(Tand ii)	Bakast Malik	0.0870093	Akhlesh Dubey, Sunil Dubey, Amardev Dubey, Ravindra Dubey 47
7	55	Private(Raiyti)	Tand	0.0189397	Gulzari Devi W/o Aditya Chaubey and Dhanpati Dev W/o Kamla Chaubey 55
8	56	Private(Raiyti)	Tand	0.0247673	Gulzari Devi W/o Aditya Chaubey and Dhanpati Dev W/o Kamla Chaubey 56
			TOTAL	0.454917	

[F. No. NHAI/PIU/RNC/NH-75/Section-IV(LA)/3D1]

RAJESH GUPTA, Director